

मध्यप्रदेश विधान सभा



नवम्बर-दिसम्बर, 2004 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 30 नवम्बर, 2004 (अग्रहायण 9, 1926)

समय 10.30 बजे दिन

1. शपथ/प्रतिज्ञान

निर्वाचन क्षेत्र क्र. 93-बालाघाट से उप चुनाव में निर्वाचित सदस्य, श्री अशोक सिंह सरस्वार शपथ लेंगे, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करेंगे और सभा में अपना स्थान ग्रहण करेंगे.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अध्यादेशों को पटल पर रखेंगे :-

- (1) भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2004 (क्रमांक 2 सन् 2004);
- (2) मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (क्रमांक 3 सन् 2004);
- (3) मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (क्रमांक 4 सन् 2004);
- (4) मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (क्रमांक 5 सन् 2004) ; तथा
- (5) मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (क्रमांक 6 सन् 2004).

4. जून-जुलाई, 2004 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना

5. नियम 267-क के अधीन जून-जुलाई, 2004 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

7. नियम 138(1) के अधीन ध्यान आकर्षण

- (1) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले की मुख्य नहर की अम्बाह-सबलगढ़ शाखा में सिंचाई हेतु पानी न छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (2) श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य, मुरैना जिले की जौरा तहसील के ग्रामों में पेयजल संकट की ओर राज्यमंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी का ध्यान आकर्षित करेंगे.

8. सभापति तालिका की घोषणा

9. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री नरेश दिवाकर (डी.एन.), सदस्य, नियम समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री लवकेश सिंह, राज्यमंत्री विधि और विधायी कार्य, मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 14 सन् 2004) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित

समय

1 घन्टा

30 मि.

11. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा.

(1) प्रदेश में विद्युत की कमी एवं प्रस्तावित दर वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

1 घन्टा

30 मि.

(2) प्रदेश में खाद बीज की कमी एवं नकली खाद बीज विक्रय से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री आरिफ अकील तथा श्री सत्यदेव कटारे, सदस्यगण चर्चा उठायेंगे.

भोपाल

दिनांक : 29 नवम्बर, 2004

डॉ. ए.के. पयासी

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.